[2022] 7 एस.सी.आर. 1176

भोला कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 937/2022)

09 मई, 2022

[अजय रस्तोगी और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीशगण]

भारत का संविधान - अनु. 19(1)(डी), 21 - अवैध निरोध -अभियुक्त को कारावास की अवधि से परे जेल में रखा गया - अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(ii)(v) और 3(1)(xii) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था-उसे 12 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 10,000/- रुपये अर्थदण्ड भुगतान करने और व्यतिक्रम में एक वर्ष के लिए अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का दंडादेश दिया गया था - अपील में उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन 12 वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश को घटाकर 7 वर्ष के कारावास में बदल दिया - इसके अलावा, पीड़ित को छह माह की अवधि के भीतर 15,000/-देकर प्रतिपूर्ति करने का भी आदेश दिया गया - अपीलार्थी ने छूट के साथ 10 वर्ष 03 माह और 16 दिनों के कठोर कारावास के दंडादेश को भुगता-अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में कारावास की अवधि से अधिक अभिरक्षा में रखा गया था-अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, दंडादेश की अवधि से अधिक जेल में रखे जाने के लिए प्रतिकर की मांग करते हुए-अभिनिर्धारितः अपीलार्थी के दंडादेश को कम करने के उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है - भारत के संविधान के अनु. 19(1)(डी) का उल्लंघन बल्कि अनु. 21 का भी उल्लंघन है। अपीलार्थी धन के रूप में प्रतिकर पाने का पात्र है -यह निर्धारित करते हुए कि वह अपने अधिकारियों द्वारा कारित कृत्य/लोप के लिए प्रतिनिधित्यात्मक रूप से उत्तरदायी है, 7.5 लाख रुपये का प्रतिकर राज्य द्वारा अदा किया जाए - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386, 357 - मध्य प्रदेश जेल नियमावली, 1968 नियम 2(जी) - मध्य प्रदेश जेल नियम, 1968 - नियम 715

न्यायालय ने अपील का निराकरण करते हुए

अभिनिर्धारित किया: यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि इसमें अपीलार्थी को एक गंभीर अपराध में दोषी ठहराया गया था। किंतु फिर, जब एक सक्षम न्यायालय ने दोषसिद्धि पर अभियुक्त को दंडादिष्ट किया और अपील में दोषसिद्धि की पुष्टि होने पर दंडादेश को संशोधित किया गया और फिर अपीलीय निर्णय अंतिम हो गया, तो दोषी को केवल उस अवधि तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है, जब तक के लिए उसे उक्त अपीलीय निर्णय के आधार विधिक रूप से अभिरक्षा में रखा जा सकता है। जब ऐसे दोषी को मुक्ति की वास्तविक तारीख से परे अभिरक्षा में रखा जाता है तो यह कानून की मंजूरी के बिना कारावास या अभिरक्षा होगा और इस प्रकार, न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (डी) बल्कि अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करेगा। यह वही है जो अपीलार्थी को लम्बे समय तक झेलना पड़ा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी एक युवा है, दंडादेश की अवधि से परे लंबे और अवैध कारावास, लंबे व अवैध रूप से स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार से वंचित किये जाने और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (डी) के अंतर्गत अधिकार का उल्लंघन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है और इस तरह की अतिरिक्त, अवैध अभिरक्षा के कारण हुई मानसिक पीड़ा और कष्ट को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थी धन के रूप में प्रतिकर का पात्र है। [पैरा 17] [1188- सी-एफ]

रुदुल शाह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1983) 4 एससीसी 141 : [1983] 3 एससीआर 508; अंबिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य एआईआर 1987 एससी 1073: [1987] 1 एससीआर 562; ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक (1988) 2 एससीसी 602: [1988] 1 पूरक एससीआर 1 संदर्भित

निर्णय विधि संदर्भ

[1983] 3 एससीआर 508	संदर्भित	पैरा 1
[1987] 1 एससीआर 562	संदर्भित	पैरा 18
[1988] 1 पूरक एससीआर	संदर्भित	पैरा 19

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 937/2022

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की आपराधिक अपील संख्या 110/2015 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.07.2018/19.07.2018 से उदभूत।

अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए. सिराजुद्दीन, तिलक राज पासी, परनाम प्रभाकर, ई. कीर्ति, एच. राजशेखर, सत्यपाल खुशाल चंद पासी, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से सौरव रॉय, उप. ए.जी., महेश कुमार, प्रबुद्ध सिंह, कौशल शर्मा, श्रीनिवास कुमार बोगीसम, सुश्री देविका खन्ना, श्रीमती वी.डी. खन्ना, वीएमजेड चैंबर्स, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सी. टी. रविकुमार, जे. द्वारा पारित किया गया -

यह विशेष अनुमति याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की आपराधिक अपील संख्या 110/2015 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 19.7.2018 को आक्षेपित करते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा व जिसके तहत याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता (संक्षिप्त में "भा.दं.सं.") की धारा 376 के अंतर्गत दोषी ठहराये जाने की पुष्टि की गई थी, किन्तु दण्डादेश को 12 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया गया था। दिनांक 04.03.2022 को सूचना-पत्र जारी किया गया था। हालाँकि, उक्त आदेश और इसके बाद के आदेश दिनांक 21.03.2022 से प्रकट होता है कि यह, वास्तव में, एक सीमित आदेश था।

तद्नुसार अनुमति दी गई।

सीमित प्रश्न (जिस पर हम विचार करना चाहते हैं) पर समुचित विचार के लिए एक संक्षिप्त प्रस्तावना लाभदायक हो सकती है, अर्थात क्या अपीलार्थी दंडादेश की अवधि से अधिक कारावास में रखे जाने और इस तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होने के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है ?

1.रुदुल शाह के मामले[1] में निर्णय से वियोग के साथ, इस न्यायालय ने एक तीक्ष्ण आशा व्यक्त की-

"यह आदेश याचिकाकर्ता को राज्य और उसके दोषी अधिकारियों से समुचित क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए वाद दायर करने से नहीं रोकेगा। हमारे द्वारा पारित प्रतिकर का आदेश, जैसा कि हमने ऊपर कहा, एक उपशामक प्रकृति का है। हम याचिकाकर्ता को उसके वाद, कई अपीलों और निष्पादन की कार्यवाही के अंत तक दरिद्र नहीं छोड़ सकते। तथ्य और कानून के अच्छे बिंदुओं पर एक पूर्ण बहस, जो प्रतिकर के वादों में आराम से होती है, को गरीब रुदुल द्वारा इस तरह का वाद दायर करने की प्रतीक्षा करनी होगी। धनवान को उस वाद में उन बिंदुओं को उठाने की स्वतंत्रता होगी। तब तक, हमें उम्मीद है कि बिहार या अन्यत्र कहीं भी कोई रुदुल शाह नहीं होंगे।"

[1] रुदुल शाह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1983) 4 एससीसी 141

(विशेष बल दिया गया)

यह एक ऐसा मामला था जिसमें रुदुल शाह को, सत्र न्यायालय, मुजफ्फरपुर, बिहार द्वारा दिनांक 03.06.1968 को दोषमुक्त कर दिये जाने के बावजूद, दिनांक 16.10.1982 को जेल से रिहा किया गया था, अर्थात उसके दोषमुक्त होने के 14 वर्ष से भी अधिक समय बाद। तब इस न्यायालय के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इस आधार पर उसकी रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई थी कि जेल में उसकी अभिरक्षा अवैधानिक है। अनुषांगिक सहायतायें भी चाही गयी थीं। दिनांक 22.11.1982 को जब उक्त रिट याचिका सुनवाई में ली गई तो बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को सूचित किया कि अपीलार्थी को जेल से रिहा कर दिया गया था, यद्यपि रिहाई की प्रार्थना निष्फल हो गई थी, परंतु इस न्यायालय ने चाही गई अन्य सहायता के संबंध में रिट याचिका पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि दोषमुक्त होने के बाद उसकी अभिरक्षा पूर्णतः अनुचित थी। इसके बाद, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, "अतः राज्य को अपने अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के अधिकारों को पहुंचाई गई क्षति की पूर्ति करनी चाहिए। उसके पास उन अधिकारियों के विरुद्ध उपचार उपलब्ध है।" इसके बाद उक्त रिट याचिका उपरोक्तानुसार तथा उपर उद्धरत तीक्ष्ण इच्छा के साथ निराकृत की गई थी।

2. सत्य है कि अपीलार्थी को दूसरा रुदुल शाह नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका मामला कभी भी उसकी दोषमुक्ति के साथ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि केवल कारावास की अवधि में कमी के साथ दोषसिद्धि की पुष्टि में समाप्त हुआ। इसके बावजूद, उसका मामला, जिसे इसके बाद अनावरित किया जाना है, राज्य सरकार (निश्चित रूप से, उसके अधिकारियों) के पक्ष पर बंदी को न्यायालय के अंतिम निर्णय की परवाह किए बिना, दण्ड की अवधि से परे कारागार में रखने के अवज्ञाकारी कृत्य की निरन्तरता को उजागर करेगा। ऐसा कृत्य अविवेकपूर्ण और अक्षम्य है जब किसी अन्य मामले के संबंध में उसका निरंतर कारावास अनावश्यक हो। इस तरह के हल्केपन को नरमी से नहीं देखा जा सकता और अब इसे वैध मानने का समय आ गया है। आवागमन की स्वतंत्रता को विधि की उचित प्रक्रिया के बाद और विधि के अनुसार ही कारावास या अभिरक्षा द्वारा कम किया या छीना जा सकता है। कानून की मंजूरी के बिना कारावास या अभिरक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (डी) के साथ-साथ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन होगा।

3. हस्तगत मामले में अपीलार्थी भोला कुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(ii)(v) और 3(1)(xii) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए विचारण का सामना कराया गया था। उसे भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध व 12 वर्ष का सश्रम कारावास भुगताए जाने तथा

10,000/-रु. अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उसने मामले को अपील में उठाया और आपराधिक अपील संख्या 110/2015 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन उसकी 12 वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश को घटाकर 7 वर्ष के कारावास में बदल दिया। इसके अलावा, पीड़ित को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार 06 माह के भीतर 15,000/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। रु. 10,000/- का अर्थदंड अदा करने तथा व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने के दंडादेश को यथावत रखने का आदेश दिया गया। एसएलपी में पारित आदेश दिनांक 4.3.2022 एवं 21.3.2022

दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा को दर्शाते हैं, किंतु इस प्रश्न पर जांच करने की इच्छा का संकेत देते हैं कि उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2018 के संदर्भ में अपीलार्थी को न्यायिक अभिरक्षा की अवधि से अधिक समय तक अभिरक्षा में क्यों रखा गया था।

4. दिनांक 04.03.2022 को जब मामला विचार के लिए आया, तो इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया और अपीलार्थी (वास्तव में, एमिकस क्यूरी) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किये गये इस अनुरोध पर ध्यान दिया कि आक्षेपति निर्णय के संदर्भ में पूर्ण दंडादेश भुगतने के बाद भी अपीलार्थी को रिहा नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.07.2018 से भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया था और याचिकाकर्ता ने आक्षेपित निर्णय के संदर्भ में संपूर्ण दंडादेश भुगत लिया है, इसके बावजूद भी उसे रिहा नहीं किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि अधीक्षक सेंट्रल जेल, अंबिकापुर, सरगुजा (सी.जी.) ने अपने जेल रिकॉर्ड को अद्यतन नहीं किया, जैसा कि अभिलेख पर प्रस्तुत प्रमाण पत्र से प्रकट होता है।

दिनांक 14.03.2022 को वापसी योग्य सूचना-पत्र जारी हो।

इसके अतिरिक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी अधिवक्ता को दी जाए

5. दिनांक 21.03.2022 को इस न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश पारित किया:

"अभिलेख दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने 10 वर्ष 03 माह और 16 दिन की अभिरक्षा व्यतीत कर ली थी, जैसा कि अभिरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 09 नवंबर, 2021 से दर्शित होता था और उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को स्थिर रखते हुए दंडादेश को घटाकर 07 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुरोध को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2022 को अभिलेख पर लिया गया था कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय के संदर्भ में 7 वर्ष के सश्रम कारावास के पूरे दंडादेश को काट लेने के बाद भी उसे रिहा नहीं किया गया है और वर्तमान याचिका का सूचना-पत्र तामील होने के बाद, संबंधित अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को दिनांक 16 मार्च 2022 को रिहा किया है। यह मामले का अंत नहीं हो सकता। इस न्यायालय को जो प्रतिबिंबित हुआ है, उसमें आैर जांच-पड़ताल की आवश्यकता है।

राज्य के अधिवक्ता एक शपथ-पत्र और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 19 जुलाई, 2018 के संदर्भ में अभिरक्षा की अवधि से अधिक अभिरक्षा में क्यों रखा गया था। इसके साथ ही, राज्य, संपूर्ण राज्य से आंकड़े भी एकत्र करे और एेसी ही घटना, जिसे

वर्तमान याचिका में संदर्भित किया गया है, की रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

इस आदेश की एक प्रति सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को उचित कार्यवाही करने व अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दी जाये''

(विशेष बल दिया गया)

6. उक्त आदेश दिनांक 21.03.2022 के अनुपालन में, केंद्रीय जेल, अंबिकापुर के अधीक्षक द्वारा एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कथित तौर पर अपीलार्थी को न्यायिक अभिरक्षा की अवधि से अधिक अभिरक्षा में रखने का कारण बताया गया था। हमें तथाकथित स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का कोई कारण नहीं मिलता और हम इस बारे में अपनी अनिच्छा और प्रतिकर देने की इच्छा के कारण स्पष्ट करेंगे।

7. दिनांक 21.03.2022 के आदेश से स्वतः ही प्रकट होता है कि अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उसे 10 वर्ष 03 माह और 16 दिनों का कठोर कारावास छूट की अवधि के साथ भुगताया गया था। अब, प्रतिरोध में प्रत्यर्थी यह दलील देगा कि अपीलार्थी को (छूट की अवधि को छोड़कर) केवल 8 वर्ष 01 माह और 29 दिन का कारावास भुगताया गया था। शपथ-पत्र में कहा गया है कि चूंकि अपीलार्थी प्रतिकर राशि 15,000/-रु. अदा करने में विफल रहा था, इस कारण उसे आक्षेपित निर्णय के अंतर्गत 7 वर्ष की अवधि के अलावा एक वर्ष के कारावास का दंडादेश अलग से भुगतना थी।

8. उपर्युक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अपीलार्थी को कारावास की विधि द्वारा अनुमत अवधि से अधिक समय तक अवैध रूप से अभिरक्षा में रखा गया था। सटीक रूप से, तर्क यह है कि अपीलार्थी को छूट की अवधि के साथ 10 वर्ष 03 माह और 16 दिनों की अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ा, जैसा कि अभिरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 09.11.2021 से प्रकट होता है। इस संदर्भ में, मूल अभिसाक्षी, अर्थात, केंद्रीय जेल, अंबिकापुर के अधीक्षक द्वारा जारी अभिरक्षा के प्रमाण पत्र का विस्तार से उल्लेख करना प्रासंगिक है। इसमें क्रमांक 7 से 12 के सम्मुख की प्रविष्टियाँ मामले के प्रयोजन के लिए सुसंगत हैं और जो इस प्रकार हैं:-

"7]दंडादेश	-	12 वर्ष
8] न्यायालय का नाम जनजाति	-	माननीय विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित)जाति एवं अनुसूचित निवारण अत्याचार अधिनियम), जशपुर (छ.ग.)
9] विचाराधीन अवधि	-	वर्ष-00, माह-10, दिन-10
10] दोषसिद्धि अवधि	-	वर्ष- 06, माह- 11, दिन- 10
11] जेल से छूट	-	वर्ष- 02. माह- 05. दिन- 26
12] पूर्ण दोषसिद्ध	-	वर्ष- 10, माह- 03, दिन- 16.

अवधि दिनांक 09-11-2021 तक"

9. उपरोक्त उद्धरण से प्रकट होता है कि दिनांक 09.11.2021 तक कुल दोषसिद्धि अवधि 10 वर्ष 03 माह और 16 दिन थी। इससे यह भी प्रकट होगा कि अपीलार्थी दंडादेश में छूट का हकदार है और उस तारीख को 02 वर्ष 05 माह और 26 दिन की छूट अवधि थी। उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, शपथ-पत्र की कंडिका 16 और 17 में किये गये कथन पर दृष्टिपात करना होगा, जो इस प्रकार हैं -

"16. माननीय उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के दंडादेश को घटाकर सात (7) वर्ष कठोर कारावास और 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) का अर्थदण्ड या व्यतिक्रम में एक (1) वर्ष का और पीड़ित को प्रतिकर के रूप में 15,000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) अदा करने, इसके व्यतिक्रम में एक (1) वर्ष का कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया था। यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा भुगती गई वास्तविक दंडादेश की अवधि (छूट अवधि को छोड़कर) निम्नानुसार है:

विचाराधीन अवधि के अंतर्गत: 10 माह और 10 दिन

दोषसिद्धि की अवधि (दिनांक 29 नवंबर 2014 से 16 नवंबर तक मार्च 2022): 7 वर्ष 3 माह और 19 दिन।

17. यह कि, इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा भुगती गई कुल दंडादेश की अवधि (छूट की अवधि को छोड़कर) 8 वर्ष 1 माह और 29 दिन है। यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पीडित को 15,000/-रु. का प्रतिकर अदा नहीं किया था, फलतः उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सात (7) वर्ष की अवधि के अतिरिक्त, एक (1) वर्ष का कारावास भुगतना था। "

10. दिनांक 21.03.2022 के आदेश के अनुपालन में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में उपरोक्त उदधृत कथन के अनुसार, छूट की अवधि को छोड़कर, अपीलार्थी 08 वर्ष 01 माह और 29 दिनों की अवधि के लिए वास्तविक कारावास में था। इसमें लेख है कि अपीलार्थी द्वारा पीड़ित को प्रतिकर देने में व्यतिक्रम के कारण, आक्षेपित निर्णय के संदर्भ में, उसे कारावास की अवधि के अलावा 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास का दंडादेश भुगताया जाना था। उपरोक्त कंडिकाआें में प्रकट शपथ-पत्र का सार प्रत्यर्थी के मामले को दर्शाता है कि 7 वर्ष की अवधि के अलावा अपीलार्थी को अर्थदंड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम के कारण एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का दंडादेश भुगताया जाना था। उपरोक्त प्रकार से प्रत्यर्थी, अपीलार्थी पर सत्र न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश के स्थान पर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई कारावास की अवधि से परे अपीलार्थी की अभिरक्षा को उचित ठहराने का प्रयास करता है। हम इस विषय पर आगे विचार करेंगे।

11. इस विषय पर उचित विचार के लिए निम्नलिखित पहलुओं को संदर्भित करना उपयुक्त है: -

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 79 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ-2/13/ जेल/ 2001 दिनांक 14 जून, 2001 के अनुसार विधि अनुकूलन आदेश, 2001 आदेश पारित किया, जो दिनांक 1 नवंबर, 2000 को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुआ। इसकी अनुसूची से प्रकट होता है कि मध्य प्रदेश जेल मैनुअल, 1968 को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाया गया था। यह अभी भी लागू है। मध्य प्रदेश जेल मैनुअल, 1968 के भाग -1 के नियम 1 से दर्शित है कि नियमों का नाम "मध्य प्रदेश जेल नियम, 1968" है। इसका नियम 2 (जी) '' दण्ड'' को परिभाषित करता है :

"2(जी)। "दण्ड" से तात्पर्य उस दण्ड से है, जो अंतिम रूप से अपील या निगरानी पर दिया गया हो आैर इसमें एेसा दंड भी शामिल है, जो एक से अधिक अपराध करने में सामूहिक रूप से दिया गया हो अथवा जुर्माना अदा न करने पर दिया गया हो या शांति बनाये रखने एवं अच्छे आचरण हेतु जमानत प्रस्तुत करने में चूक के लिये कारागार में रोका गया हो''

12. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में, मध्य प्रदेश जेल नियम, 1968 लागू है और इसके अंतर्गत 'दण्ड' शब्द का अर्थ अपील, पुनरीक्षण या अन्यथा में अंतिम रूप से तय किया गया दंडादेश है और इसमें एक से अधिक अपराध करने में सामूहिक रूप से दिया दण्ड और शांति व सदाचार बनाए रखने हेतु जमानत प्रस्तुत करने में चूक के लिये कारागार में रोका जाना भी शामिल है। वर्तमान मामले में उपरोक्तानुसार विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जशपुर की न्यायालय, जिसने अपीलार्थी का विचारण किया आैर उसे भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुये 12 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये अर्थदंड, जिसके व्यतिक्रम में एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का दंडादेश दिया। अपील में उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए धारा 376 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंड को घटाकर 07 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया तथा 10,000/- रूपये अर्थदण्ड अदा करने के आदेश को यथावत रखा। इसके अतिरिक्त, यह आदेश दिया गया कि दं.प्र.सं. की धारा 357 के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित को 15,000/- रुपये का प्रतिकर का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में, निर्विवाद स्थिति यह है कि अपीलार्थी को अंततः 7 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश सुनाया गया। यह सच है कि अर्थदंड में व्यतिक्रम करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना था। किंतु जो बात हमें परेशान कर रही है वह है कि दिनांक 24.4.2022 के शपथ-पत्र में छूट की अवधि के बारे में जान-बूझकर लोप किया जाना है। इसे न केवल उपर्युक्त जेल नियमों की प्रयोज्यता के कारण बल्कि कुछ अन्य पहलुओं के कारण भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। छूट की वास्तविक अवधि, जिसके लिए अपीलार्थी हकदार था, जो भी हो, तथ्य यह है कि उपरोक्त परिस्थितियों में उसकी छूट की पात्रता निर्विवाद है। अभिरक्षा प्रमाणपत्र के अनुसार दिनांक 9.11.2021 को जेल छूट की अवधि 2 वर्ष, 5 माह और 26 दिन थी। यह ध्यान रखना समुचित है कि दिनांक 24.04.2022 के शपथ-पत्र के अभिसाक्षी, जिसने स्वयं अभिरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया था, ने छूट के लिए अपीलार्थी के अधिकार को विवादित नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा कारावास में छूट के साथ भोगी गई कारावास की वास्तविक अवधि क्या थी, इसका उक्त शपथ-पत्र में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था, हालांकि दिनांक 21.03.2022 के आदेश में इस न्यायालय ने अभिलिखित किया कि अभिरक्षा प्रमाण-पत्र के अनुसार अपीलार्थी को 10 वर्ष, 3 माह और 16 दिन का दंडादेश भुगताया गया था। इसमें यह भी कि शपथ-पत्र दिनांक 24.04.2022 के अनुसार भी अपीलार्थी को कानूनी तौर पर जितना कारावास भुगतना था, उससे अधिक कारावास का सामना करना पड़ा। उक्त शपथ पत्र की कंडिका 17 में कहा गया है:

"याचिकाकर्ता द्वारा भोगी गई कुल कारावास की अवधि (छूट की अवधि को छोड़कर) 8 वर्ष 1 माह और 29 दिन है।"

(विशेष बल दिया गया)

13. अब हम एक और गंभीर पहलू पर विचार करेंगे। शपथ-पत्र दिनांक 24.04.2022 के क्रमवीक्षण से दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2018 के बारे में अनभिज्ञता जता रहा है। प्रत्यर्थी के अनुसार यद्यपि उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.07.2018 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर को निर्णय की सूचना दे दी थी, लेकिन इसकी सूचना जेल अधिकारियों को नहीं दी गई और दिनांक 10 मार्च, 2022 को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4 मार्च, 2022 की संसूचना होने पर तत्काल कार्रवाई की गई। हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संशय नहीं है कि दिनांक 24.04.2022 के उक्त शपथ-पत्र में दिया गया बयान और उसके साथ संलग्न दस्तावेज उक्त दलीलों के खोखलेपन को

उजागर करते हैं। प्रत्यर्थी, अपीलार्थी के दंडादेश को कम करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.7.2018 के संबंध में अनभिज्ञता कैसे प्रकट कर सकता है?

14. अनुलग्नक- ए 1 में, जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव को केंद्रीय जेल, अंबिकापुर के अधीक्षक द्वारा पत्र दिनांक 20.01.2020 है, में इस प्रकार संदर्भ दिया गया था:

"संदर्भ: पत्र क्रमांक एफ.सं.2477/ सीजीएसएलएसए/ दोषी कैदी/ 2018/ बिलासपुर दिनांक 28-092018 विज्ञापन पत्र क्रमांक एल/ 24/2018- याचिकाकर्ता/ दिनांक 27.09.2018 याचिकाकर्ता का ई- मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ।"

ऐसा संदर्भ देने के बाद भी, जानबूझकर या अन्यथा, प्रत्यर्थी ने उक्त पत्रों को शपथ-पत्र दिनांक 24.04.2022 के साथ प्रस्तुत करने का विकल्प नहीं चुना। संलग्नक ए-1 दिनांक 20.01.2020 जो कि शपथ-पत्र दिनांक 24.04.2022 के साथ प्रस्तुत किया गया है, में लेख है ''

कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

पत्र क्रमांक 590/ कल्याण/ 2020, अम्बिकापुर, दिनांक: 20.01.2020

प्रति,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,

उच्च न्यायालय परिसर,

बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: दोषी बंदी भोला कुमार पुत्र बरजू राम कुमार की विशेष अनुमति अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने के संबंध में।

संदर्भ: पत्र क्रमांक एफ.सं. 2477/ सीजीएसएलएसए/ दोषी कैदी/ 2018/ बिलासपुर दिनांक 28.09.2018 एवं याचिकाकर्ता का पत्र क्रमांक एल/ 24/2018- याचिकाकर्ता/ दिनांक 27.09.2018 ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ।

महोदय,

उपरोक्त उद्धृत विषय एवं संदर्भ के संबंध में अनुरोध है कि दोषसिद्ध बंदी भोला कुमार पुत्र बरजू राम कुम्हार, निवासी ग्राम तमामुंडा फरसाबहार, थाना फरसाबहार, जिला जशपुर (छ.ग.) जिसे कि सत्र विचारण संख्या 04/2014 में विशेष न्यायाधीश, जिला जशपुर (सी.जी.) द्वारा निर्णय दिनांक 29.11.2014 से धारा 376 भा. दं.सं. के अंतर्गत दोषी ठहराया जाकर आजीवन कारावास से दंड़ित किया गया है और दिनांक 19.07.2018 को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा उसकी आपराधिक अपील संख्या 110/2015 निरस्त हो जाने से जेल में कारावास का दंडादेश भुगत रहा है। दोषसिद्ध बंदी विधिक सहायता के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति अपील (दांड़िक) चाहता है।

अत: संबंधित दस्तावेज (01) वकालतनामा, (02) एस.एल.पी. हेतु शपथ पत्र, (03) जेल निरोध प्रमाण पत्र, (04) विधिक सहायता हेतु शपथ पत्र, (05) विलम्ब क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र, (06) एफ.आई.आर., विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति और अन्य गवाही की दस्तावेजों की प्रतियां, (07) विधिक सेवा के लिए आवेदन, आपकी ओर अग्रेषित कर सम्मानपूर्वक अनुरोध है कि शेष सभी दस्तावेजों (01) माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय (02) माननीय उच्च न्यायालय की पेपर बुक और (03)

अंग्रेजी अनुवाद, की आपूर्ति करके कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति अपील (दांड़िक) दायर करें।

हस्ता./-अपठनीय
जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल अंबिकापुर
सरगुजा छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन संख्या 590- ए/ कल्याण/ 2020, अम्बिकापुर,

दिनांक: 20.01.2020

सचिव, जिला विधिक सहायता सेवा समिति, जिला सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.) को प्रति सूचनार्थ सादर प्रेषित।

हस्ता./-अपठनीय
जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल अंबिकापुर
सरगुजा छत्तीसगढ़

15. दिनांक 20.01.2020 को एेसा पत्र लिखने और विशेष रूप से आपराधिक अपील संख्या 110/ 2015 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के खारिजी के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से अनुरोध करने के बाद अधीक्षक, केंद्रीय जेल, अंबिकापुर, इस बारे में अनभिज्ञता नहीं जता सकता कि आपराधिक अपील संख्या 110/2015 के निर्णय दिनांक 19.7.2018 में आगे हस्तक्षेप के अभाव में और किसी भी दशा में उक्त निर्णय के बल पर कारावास की अनुज्ञेय अवधि समाप्त हो जाने के बाद क्या अग्रिम कार्यवाही की जानी थी। निर्णय दिनांक 19.07.2018 का अनुपालन न किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि इस न्यायालय के दिनांक 4 मार्च, 2022 के आदेश की प्राप्ति पर त्वरित–कार्यवाही की जा सकती थी, जैसा कि शपथ पत्र दिनांक 24.4.2022 के पद क्रं. 11 से 13 में स्पष्ट किया गया है, तो ऐसा तुरंत कारावास की अनुमेय अवधि की समाप्ति के तत्काल पूर्व या तत्काल पश्चात क्यों नहीं किया गया। यदि उसे 2 वर्ष की छूट मिलनी थी, जैसा कि अभिरक्षा प्रमाण पत्र में लेख है, तो निश्चित रूप से सुसंगत जेल नियमों के अनुसार कारावास की अवधि और अर्थदंड के व्यतिक्रम में एक वर्ष के कारावास की अतिरिक्त अवधि की समाप्ति के बाद छूट की अवधि को कर करने पर उसे 8 वर्ष, एक माह और 29 दिन की वास्तविक कारावास अवधि से बहुत पहले मुक्त कर दिया जाना चाहिए था।

16. प्रत्यर्थी का एेसा मामला नहीं है कि उसने या पीड़िता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19/07/2018 को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी। उक्त परिस्थितियों में, केवल यह माना जा सकता है कि अभिसाक्षी निर्लज्जता से झूठ बोल रहा था। उक्त परिस्थितियों में, उक्त निर्णय के अनुपालन में उचित कार्यवाही करने और कारावास की वैध अनुज्ञेय अवधि की समाप्ति पर अपीलार्थी को मुक्त करने में चूक के लिए कोई न्यायोचित कारण नहीं था। प्रत्यर्थी का बिल्कुल भी एेसा मामला नहीं है कि अपीलार्थी छूट का हकदार नहीं था। केंद्रीय जेल, अंबिकापुर के अधीक्षक द्वारा जारी अभिरक्षा प्रमाण पत्र व छत्तीसगढ़ राज्य में

लागू उपरोक्त वर्णित जेल नियमों के प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी का छूट का अधिकार निर्विवाद है और वास्तव में, प्रत्यर्थी द्वारा इसे बिल्कुल विवादित नहीं किया गया है। उपर्युक्त जेल नियम, 1968 के नियम 715 में प्रावधान है कि उक्त नियमों के अंतर्गत किसी बंदी को दी गई कुल छूट, राज्य सरकार की विशेष मंजूरी के बिना, उसके दंडादेश के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, यह सामान्यतः दी जाने वाली अधिकतम छूट है।

17. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि इसमें अपीलार्थी को गंभीर अपराध में दोषी ठहराया गया था। किंतु जब एक सक्षम न्यायालय ने दोषसिद्धि पर अभियुक्त को दंडादिष्ट किया और अपील में दोषसिद्धि की पुष्टि होने पर दंडादेश को संशोधित किया गया और फिर अपीलीय निर्णय अंतिम हो गया, तो दोषी को केवल उस अवधि तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है, जब तक के लिए उसे उक्त अपीलीय निर्णय के आधार विधिक रूप से अभिरक्षा में रखा जा सकता है। जब ऐसे दोषी को मुक्ति की वास्तविक तारीख से परे अभिरक्षा में रखा जाता है तो यह कानून की मंजूरी के बिना कारावास या अभिरक्षा होगा और इस प्रकार, न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (डी) बल्कि अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करेगा। यह वही है जो अपीलार्थी को लम्बे समय तक झेलना पड़ा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी एक युवा है, दंडादेश की अवधि से परे लंबे और अवैध कारावास, लंबे व अवैध रूप से स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार से वंचित किये जाने और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (डी) के अंतर्गत अधिकार का उल्लंघन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है और इस तरह की अतिरिक्त, अवैध अभिरक्षा के कारण हुई मानसिक पीड़ा और कष्ट को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी धन के रूप में प्रतिकर का पात्र है।

18. हम जानते हैं कि वर्तमान कार्यवाही भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत है। हमारा विचार है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 (संक्षेप में दं.प्र.सं.) का संदर्भ लिया जाना उपयुक्त होगा, इसका खंड (ए) दोषमुक्ति के आदेश की अपील में अपीलीय शक्तियों से संबंधित है जबकि खंड (बी) दोषसिद्धि की अपील में अपीलीय शक्ति से संबंधित है, खंड (सी) दंडादेश को बढ़ाने के लिए अपील में अपीलीय शक्ति से संबंधित है और खंड (डी) किसी अन्य आदेश की अपील में अपीलीय शक्ति से संबंधित है।

अब खंड (ए) से (डी) से भिन्न खंड (ई) यह नहीं कहता कि किस प्रकार की विशेष अपील में संशोधन करने या कोई पारिणामिक या अनुशांगिक आदेश जो न्यायसंगत या उचित हो, इसके अधीन शक्ति के आह्वान पर पारित किया जा सकता है। इस तरह के विशिष्ट उल्लेख के अभाव में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खंड (ई) के अंतर्गत निर्दिष्ट शक्ति निश्चित रूप से खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत उल्लिखित अपील की चार श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत आने वाले उचित मामलों में उपलब्ध होगी। हमारा दृष्टिकोण इस तथ्य से दृढ़ होता है कि खंड (डी) के अंतर्गत दो समान परंतुक प्रावधान खंड (ई) के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के मामले में दंड़ादेश बढ़ाने और दंड़ादेश देने के संबंध में प्रतिबंध लगाते हैं। हमारे अनुसार, इसके अंतर्गत शक्ति का प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जा सकता है। इस मामले में, हमने पाया कि उच्च न्यायालय के दिनांक 19.07.2018 के अपीलीय निर्णय के बारे में पता चलने के बावजूद अपीलार्थी को विधिक रूप से स्वीकार्य अवधि से अधिक समय तक अवैध रूप से जेल में रखा गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उसे केवल 16.03.2022 को मुक्त किया गया था, जो दिनांक 19.07.2018 के उक्त निर्णय के संदर्भ में दंड़ादेश की अनुज्ञेय अवधि से काफी अधिक है। दूसरे शब्दों में, उसने निर्णय दिनांक 19.07.2018 के अंतर्गत अनुज्ञेय अवधि से अधिक अवधि व्यतीत की है। अपीलार्थी एक युवा है और उसे इस तरह की

अतिरिक्त, अवैध अभिरक्षा के कारण मानसिक पीड़ा और पीड़ा के अलावा लंबे समय तक मौलिक अधिकारों से अवैध रूप से वंचित होना पड़ा। यह पारिणामिक या अनुशांगिक आदेश, जो न्यायसंगत या उचित हो, को आमंत्रित करने वाला मामला नहीं है। अम्बिका क्वारी वर्क्स बनाम गुजरात राज्य (एआईआर 1987 एससी 1073) के निर्णय में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'सभी व्याख्याओं को अधिनियम के आशय को आगे बढ़ाने आैर क्रियान्वयन में सहायता करनी चाहिए।' यह स्थिति किसी भी क़ानून में किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते समय लागू होता है, खासकर जब उस प्रावधान के अंतर्गत ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की जाती है जो सही या उचित हो।

19. इस मामले के संदर्भ में ए.आर. अंतुले वी. आर.एस. नायक [(1988) 2 एससीसी 6021 के निर्णय का उल्लेख करना भी उचित है। इसी तरह के मामले में जहां स्पष्ट अवैधता हो या जहां स्पष्ट अन्याय होना दर्शाया गया हो, यह न्यायालय उचित अनुतोष दे सकता है। निर्णय के अनुसार, ऐसी शक्ति के प्रति या तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 या संविधान के संरक्षक के रूप में निहित शक्तियों में मिल सकते हैं।

उसके दीवानी उपचार के बारे में कोई टिप्पणी किए बिना, हम यह पाते हुए कि राज्य अपने अधिकारियों द्वारा कत्तव्य के दौरान किये गये कृत्य/लोप के लिये प्रतिनिधित्यात्मक रूप से उत्तरदायी हैं, उसे 7.5 लाख रुपये (सात लाख पचास हजार रुपये) का प्रतिकर देने का आदेश पारित करना सही व उचित मानते हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्तानुसार राज्य को प्रतिनिधित्यात्मक रूप से उत्तरदायी ठहराये जाने पर राज्य को चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का उपचार है।

अपील उपरोक्त शर्तों के अनुसार निराकृत की जाती है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निराकृत समझे जाएं।

आलोक मिश्राा
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सागर
जिला-सागर (म.प्र.)